

145

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 06 अगस्त, 2024

विषय: प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 10 जनपदों में वज्रपात सुरक्षा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके सं०-525/रा०आ०प्र०प्रा०/2024-25, दिनांक 29.07.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 10 जनपदों में वज्रपात सुरक्षा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाये जाने हेतु राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से टेंडर के सापेक्ष प्राप्त एल-1 की धनराशि ₹० 27.75 करोड़ (सत्ताइस करोड़ पचहत्तर लाख) उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 19-06-2024 में प्राप्त संस्तुति के क्रम में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 05.07.2024 में लिये गये निर्णयानुसार तथा उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये पस्तावानुसार राज्य आपदा मोचक निधि की प्रपेयर्डनेस एवं केपेसिटी बिल्डिंग मद-11 से प्रदेश के 10 जनपदों में वज्रपात सुरक्षा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में समिति द्वारा कार्यांतर अनुमोदित धनराशि ₹० 28.43 करोड़ के सापेक्ष टेंडर में प्राप्त एल-1 की धनराशि ₹० 27.75 करोड़ (सत्ताइस करोड़ पचहत्तर लाख) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित विवरण/शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, लखनऊ के निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

- (1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।
- (2) उ०प्र० राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के 10 जनपदों में वज्रपात सुरक्षा अवेयरनेस प्रोग्राम चलाये जाने हेतु जारी निविदा सक्षम स्तर से अनुमोदित कराते हुए कार्यादेश निर्गत कर नियमानुसार योजना का संचालन किया जायेगा।
- (3) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

- (4) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।
- (5) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उOप्रO राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।
- (6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।
- (8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।
- (9) राज्य आपदा मोचक निधि के सबंध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 27.75 करोड़ (सत्ताइस करोड़ पचहत्तर लाख) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024--231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by **भवदीय,**
Ram Kewal
Date: 02-08-2024 (16/08/24)
विशेष सचिव

संख्या:-1303(1)/एक-10-2024, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/ऑडिट प्रथम, उOप्रO, प्रयागराज।
- 2- स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव, उOप्रO शासन।
- 3- राहत आयुक्त, उOप्रO, लखनऊ।
- 4- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उOप्रO शासन।
- 5- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उOप्रO।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)
अनु सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-07/08/2024

प्रेषण संख्या:- 1303
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1303
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड
800 - अन्य व्यय
06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय
11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	277500000 633186912	277500000 633186912
	योग	वर्तमान प्रगामी	277500000 633186912	277500000 633186912

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया सत्ताइस करोड़ पचहत्तर लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तिरेसठ करोड़ इकत्तीस लाख छियासी हजार नौ सौ बारह

(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।